भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5150 का उत्तर

महिलाओं/वरिष्ठ नागरिकों हेतु पृथक काउंटर

5150. श्री सुनील कुमार पिंटूः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बिहार के सीतामढ़ी और जनकपुर रोड़ रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और निःशक्तजनों के लिए पृथक टिकट आरक्षण काउंटर खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का जनकपुर रोड और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों को अद्यतन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

mm

महिलाओं/वरिष्ठ नागरिकों हेतु पृथक काउंटर के संबंध में दिनांक 24.07.2019 को लोक सभा में श्री सुनील कुमार पिंटू के अतारांकित प्रश्न सं. 5150 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केन्द्रों पर यदि प्रति शिफ्ट औसत मांग 120 टिकटों से कम नहीं होती तो दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, पूर्व सांसदों, विधायकों, प्रसिद्ध पत्रकारों और स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आरक्षण मांग पत्रों की संभ्लाई के लिए अलग आरक्षण काउंटर निर्धारित किए जाते हैं। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों अथवा दिव्यांगजनों सहित इनमें से किसी भी कोटि के लिए एक अनन्य काउंटर निर्धारित करने हेतु कोई औचित्य न होने की स्थिति में इन सभी कोटियों के व्यक्तियों से प्राप्त आरक्षण संबंधी अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए कुल मांग के आधार पर एक अथवा दो काउंटर निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी आरक्षण काउंटर पर दैनिक औसत लेन-देन की संख्या 180 अथवा उससे अधिक होने पर रेलवे द्वारा अतिरिक्त आरक्षण काउंटर खोलने के बारे में कार्रवाई की जा सकती है जो जनशक्ति, स्थान और अन्य अवसंरचना की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

सीतामढ़ी और जनकपुर रोड रेलवे स्टेशनों पर दो शिफ्टों में कार्य करने वाले एक-एक आरक्षण काउंटर की व्यवस्था की गई है। आरक्षण संबंधी लेन-देन की संख्या के विश्लेषण से पता चलता है कि सीतामढ़ी स्टेशन पर प्रतिदिन औसतन 225 लेन-देन (प्रति शिफ्ट लगभग 113 लेन-देन) होते हैं जबकि जनकपुर रोड स्टेशन पर प्रतिदिन 60 लेन-देन होते हैं। अतः सीतामढ़ी और जनकपुर रोड रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग आरक्षण काउंटर खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

(ग) और (घ): सीतामढ़ी और जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पर क्रमशः एनएसजी-4 और एनएसजी-5 कोटि के स्टेशनों के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों स्टेशनों को आदर्श स्टेशन योजना

के अंतर्गत विकसित भी किया गया है। जनकपुर और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों पर इन कोटि के स्टेशनों के लिए मानदंडों के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम अनिवार्य सुख-सुविधाओं से अधिक यात्री सुख-सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करके स्टेशनों का अपग्रेडेशन निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है।

******

mm